UPME010085682026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट मेरठ।</u>

उपस्थितः– अमित वीर सिंह (H.J.S.)

J.O. Code No.–UP6240

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2350/2026

कम्पयूटर रजिस्ट्रेशन सं० 2907/2026

साकिब पुत्र कदीर निवासी– मजीद नगर गली नं० 3 निकट गडडे वाली मस्जिद थाना लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ।

... ...अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... ... .अभियोजन।

मु०अ०सं० 327/2026
धारा–103(1) बी.एऩ.एस.
व 4/25/27 आयुद्ध अधिनियम
थाना– लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ।

<u>दिनांक– 17.06.2026</u>

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त साकिब पुत्र कदीर निवासी– मजीद नगर गली नं० 3 निकट गडडे वाली मस्जिद थाना लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 327/2026, धारा– 103(1) बी.एऩ.एस. व 4/25/27 आयुद्ध अधिनियम, थाना लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मुरसलीम द्वारा दिनांक 01.05.2026 समय 14.05 बजे थाना लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ पर तहरीर इस आशय की दी गयी कि– प्रार्थी की बहन कौसर की शादी सात साल पहले साकिब पुत्र कदीर के साथ हुई थी। इस समय साकिब प्रार्थी की बहन कौसर के साथ मजीद नगर, गल्ली नं0–3, निकट गड्ढे वाली

मस्जिद, मे किराये पर रह रहा था। कौसर के साकिब से तीन लड़कियां थी। साकिब शादी के बाद से ही कौसर के साथ मारपीट करता था। करीब 15 दिन पहले साकिब ने प्रार्थी को फोन करके बताया कि प्रार्थी की बहन कौसर छत से गिर गयी है और मैं मेडिकल में है और वह मर गयी है। बाद में साकिब कहने लगा कि मै मजाक कर रहा था कौसर ठीक है। करीब चार दिन पहले मेरी कौसर से बात हुई थी तो कौसर ने बताया था कि साकिब के किसी महिला से अवैध सम्बन्ध है और इसलिये वो मेरे साथ मारपीट करता है और साकिब ने मेरी बहन की गला रेत कर हत्या की है। जिसकी सूचना प्रार्थी को दिनांक 01–05–2026 को सुबह करीब 8.30 बजे मेरे गाँव जानी जनपद मेरठ में मिली है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मेरी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि 1. प्रार्थी/अभियुक्त को थाना पुलिस द्वारा दिनाँक 02.05.2026 गिरफ्तार कर फर्जी रूप से आरोपित कर जेल भेजा गया है, तबसे ही प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार मेरठ में निरुद्ध है। वादी मुकदमा द्वारा थाना लिसाड़ी गेट में तहरीर दी गयी "निवेदन है कि प्रार्थी की बहन कौसर कि शादी सात साल पहले साकिब पुत्र कदीर के साथ हुई थी। इस समय साकिब प्रार्थी की बहन कौसर के साथ मजीद नगर, गली न. 03 निकट गढढ़े वाली मस्जिद, में किराये पर रह रहा था। कौसर के साकिब से तीन लड़किया थी। साकिब शादी के बाद से ही कौसर के साथ मार पीट करता था। करीब 15 दिन पहले साकिब ने प्रार्थी को फोन करके बताया कि प्रार्थी कि बहन कौसर छत से गिर गयी है और मेडिकल मे है और वह मर गयी है बाद में साकिब कहने लगा कि मे मज़ाक कर रहा था कौसर ठीक है। करीब चार दिन पहले मेरी कौसर से बात हुई थी तो कौसर ने बताया था कि साकिब के किसी महिला से अवैध सम्बन्ध है। और इसलिये वो मेरे साथ मार पीट करता है और साकिब ने मेरी बहन कि गला रेत कर हत्या कि है। जिसकी सूचना प्रार्थी को दिनाँक 01.05.2026 को सुबह 8:30 बजे मेरे गाँव जानी जनपद मेरठ मे मिली है....." प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी /अभियुक्त निरपराध है प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे में झूठा फँसाया गया हैं। अभियोजन की कहानी पूर्णतया झूठे, फर्जी एवं निराधार तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का समय वर्णित नही किया गया है। अभियोजन द्वारा कथित घटना का कोई निष्पक्ष साक्षी नही दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कथित घटना से संबंधित में कोई वस्तु नाजायज़ बरामद नही हुई है। पुलिस द्वारा जो प्रार्थी से पेपर कटर कि बरामदगी दर्शाई गई है वह फर्जी है। प्रार्थी घटना वाले दिन काम पर गया हुआ था, प्रार्थी की पत्नी की हत्या प्रार्थी कि अनुपस्थिति में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कि गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनाँक 8.05.2026 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पैरोकार नही है। चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पैरवी की जा रही है। प्रार्थी/अभियुक्त का

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नही है ना ही खारिज हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि के लिये उचित जमानत देने को तैयार है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को दौराने वाद जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने जो अपराध कारित किया है वह गम्भीर प्रकृति का है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा थाना लिसाड़ी गेट की आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त घटना कारित की है तथा अभियुक्त की निशानदेही पर एक अदद पेपर कटर बरामद हुआ है। अभियोजन द्वाराप्रार्थी/अभियुक्त का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त साकिब मृतका का पति है और मृतका का शव घर के अन्दर से बरामद हुआ है। जिससे मृतका की गर्दन काटी गयी है, वह आलाकत्ल पेपर कटर भी घऱ के अन्दर से मुल्जिम की निशानदेही पर बरामद हुआ है, जिस पर खून लगा मिला है। अतः जमानत को काई पर्याप्त आधार नही है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त साकिब पुत्र कदीर निवासी– मजीद नगर गली नं० 3 निकट गडडे वाली मस्जिद थाना लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ की ओर से मु०अ०सं० 327/2026, अर्न्तगत धारा– 103(1) बी.एऩ.एस. व 4/25/27 आयुद्ध अधिनियम, थाना लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाकः– 17.06.2026

(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

This is uncertified copy for information/reference.

For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.06.17 18:32:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court